



ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00151

**न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**  
**पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर०ए०एस०**  
**निगरानी प्रकरण सं० 33/2016**

1. वजीर सिंह वार्ड पंच 11 पुत्र श्री मेवा सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मौजीराम पुत्र अमृतलाल जाति नायक निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनवाली जरिये प्रधानाध्यापक।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल महार अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता 01,०2
3. अप्रार्थी संख्या 03 स्वयं उपस्थित

:: आदेश ::

दिनांक :- 13.03.2020

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकृत आदेश एक पक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार एवम् विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि वाके चक 4 बी.एन. डब्ल्यू के मु.नं. 92 के किला नम्बर 01,02,09,10,11,12,19,20,21,22 कुल 10 बीघा, मु.न. 115 के किला नम्बर 01 का 0.03 बिस्वा, किला नम्बर 04 का 0.04 बिस्वा कुल 0.07 बिस्वा, मु.नं. 111 के किला नम्बर 11 से 25 कुल 15 बीघा तथा किला नम्बर 1,2,3 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 4-5 सालम, किला नम्बर 06 में 0.04 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 0.02 बिस्वा, कुल आराजी 40.02 बीघा खातेदार द्वारा जरिये दानपत्र दिनांक 19.11.1974 को अप्रार्थी संख्या 03 को दी गई थी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख में इन्द्राज नामान्तरण के रूप में हो चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय को दान दी थी को किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 02 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आवंटित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञापनक प्रावधानों (Mandatory Provision of Law) की कतई पालना नहीं की है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व समस्त कानूनी प्रक्रिया का गुपचुप तरीके से अपने से अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने मिलने वालों को लाभ पहुंचाने हेतु कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूखण्ड के आवंटन से पूर्व कोई आपत्ति की कोई सूचना सार्वजनिक तौर पर नहीं की ना ही सूचना पत्र को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया। चस्पादगी की विधि अनुसार नहीं की गई, समस्त कार्यवाही दूषित होने से निगरानी भूखण्ड निरस्ती किये जाने योग्य है। निगरानीकृत आदेश एक



*amp*  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

पक्षीय रूप से बिना किसी सूचना पत्र अथवा सार्वजनिक नोटिस जारी किये पारित किया गया है। निगरानीकृत आदेश अवैध एवं शून्य होने से यद्यपि कोई कानूनी मियाद नहीं है फिर भी निगरानीकृत आदेश की जानकारी अप्रार्थी संख्या 02 से एक माह पूर्व हुई थी। इस पर प्रार्थी ने सम्बन्धित दस्तावेजात तलाश कर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इल्म से प्रस्तुत है। लिहाजा निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.10.2014 जिसकी रूह से भूखण्ड संख्या सी-38 का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे तो जनबा की मेहरबानी होगी

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि वाके चक 4 बी.एन. डब्ल्यू के मु.नं. 92 के किला नम्बर 01,02,09,10,11,12,19,20,21,22 कुल 10 बीघा, मु.न. 115 के किला नम्बर 01 का 0.03 बिस्वा, किला नम्बर 04 का 0.04 बिस्वा कुल 0.07 बिस्वा, मु.नं. 111 के किला नम्बर 11 से 25 कुल 15 बीघा तथा किला नम्बर 1,2,3 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 4-5 सालम, किला नम्बर 06 में 0.04 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 0.02 बिस्वा, कुल आराजी 40.02 बीघा खातेदार द्वारा जरिये दानपत्र दिनांक 19.11.1974 को अप्रार्थी संख्या 03 को दी गई थी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख में इन्द्राज नामान्तरण के रूप में हो चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय को दान दी थी को किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 02 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आवंटित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी गुरबचन सिंह की फाईल में भूखण्ड संख्या नहीं है केवल सी-37 लिखा है। सचिव के हस्ताक्षर नहीं है नियम 145 के 2,3 की पालना नहीं होती है। सभी 15 फाईलो में एक ही व्यक्ति निरीक्षण करते हैं। नोटिस चस्पा सार्वजनिक स्थल बनवाली धर्मशाला पर किया गया है जो सार्वजनिक स्थल नहीं है। राजसिंह की पत्रावली में राज सिंह के हस्ताक्षर ही नहीं है और उसे पट्टा दिया गया है। नक्शा पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। आपत्ति सूचना में ग्राम पंचायत की मोहर पर सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए जो नहीं है जबकि कार्यवाही सचिव करता है। सरपच के हस्ताक्षर भी प्रत्येक पृष्ठ पर नहीं है। प्रस्ताव संख्या 02 में 15 दिन से पहले ही स्वीकृति जारी कर दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा सरकार की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया है। प्रस्ताव रजिस्टर नया बनाया गया है नया इसलिए लग रहा है क्योंकि दिनांक 05.07.2014 को तैयार किया गया और 20.10.2014 को निलामी कार्यवाही समाप्त कर पट्टा जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे सी-38 को आवंटन करने में पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत बने रूल्स 141 से 165 की पालना भी नहीं की इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.10.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की है:-

- 1- 2018(1)CJ(Civ.)(Raj.) -Page :-572-576
- 2- 2016(1)DNJ(Raj.) -Page :-216-220
- 3- 2013(3)DNJ [Raj.] -Page :-1399-1404
- 4-



अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता ने निगरानी जाहिरा तौर से करीब 02 साल बाद पेश की है जो कि मियाद बाहर होने से खारिज करने योग्य है। दरअसल प्रार्थी वजीर सिंह जो कि ग्राम पंचायत बनवाली में सक्रिय कार्यकर्ता रहा है तथा वर्तमान पंचायत जो कि फरवरी 2015 से बनी हुई है में पंच पद पर कार्यरत है के द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन स्थित अत्यंत कीमती भूमि पर नाजायज कब्जा किये हुए है तथा सरपंच द्वारा कब्जा छुड़ाने की कोशिश पर सरपंच के साथ गलत रंजिश रखने से ही गलत निगरानी पेश की गई है। प्रार्थी वजीर सिंह द्वारा इसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में शिकायत प्रार्थना पत्र माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर, श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, सचिव जिला जनाभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति एवं अति० जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को पेश की गई जिस पर जांच के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को लिखा गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उमाशंकर पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर को जांच सौंपी गई तथा पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 3229/07.09.2016 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर को सौंपी गई जिसकी नकल शामिल है। पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि सरपंच द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्रामवासियों द्वारा अहातों की मांग को देखते हुए पटवारी हल्का से गांव की आबादी भूमि की जमाबंदी ली जाकर अवलोकन करने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने 90 फीट की पट्टी का आवंटन नहीं किया जाने पर सभी वार्ड पंचों व ग्रामीणों से विचार विमर्श के उपरांत पंचायत की बैठक दिनांक 20.06.2013 के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन उपरांत उक्त भूमि का नक्शा तैयार कर पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के तहत जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर, टाउन प्लानर बीकानेर को अनुमोदन हेतु भेजा गया, नक्शा पास करवाने से पूर्व पटवारी हल्का से उक्त जगह गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने बाबत प्रमाण-पत्र भी लिया गया था। वरिष्ठ नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग बीकानेर द्वारा नक्शा पास कर दिये जाने के उपरान्त पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 143 के तहत आबादी क्षेत्र में भू-खण्डों के निलाम किये जाने हेतु नियम 145-155 में वर्णित प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवंटन किये गये हैं। अहातों की निलामी से प्राप्त राशि ग्राम पंचायत की रोकड़ में दर्ज की जा चुकी है। नियम 142-155 गूगल मैप वरिष्ठ नगर नियोजक वि० बीकानेर द्वारा पास किया गया नक्शा 2013 से 2016 आबादी भूमि सम्बंधी जमाबन्दी की नकल, पटवारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर रोकड़बही व मिसलों का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सभी आवश्यक कार्यवाही कर पट्टे जारी किये गये हैं, जो पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत निलामी द्वारा जारी किये गये हैं। प्रार्थी वजीर सिंह द्वारा केवलमात्र ग्राम पंचायत के सरपंच से गलत रंजिश के कारण झूठे तथ्यों पर निगरानी पेश की गई है। निगरानीकर्ता ने पट्टा को गलत तौर से अवैध व शून्य होने का कथन किया



*amp*  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

**ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00151**

गया है जबकि पट्टा पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। चूंकि पट्टा के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त बीकानेर व जिला कलक्टर के आदेशों पर ही उपरोक्त जांच करवायी जाकर पट्टा को सही पाया गया है। इस प्रकार निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि जांच रिपोर्ट दिनांक 07.09.2016 को ना तो प्रार्थी द्वारा आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा श्रीमान न्यायालय को पुनः किसी प्रकार की जांच करने का अधिकार ही हासिल है क्योंकि जिला कलक्टर के आदेशों से जो जांच करवायी जा चुकी है उसके बाद पुनः कोई जांच कानूनन नहीं हो सकती। लिहाजा लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि निगरानी मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 2018(1)CJ(Civ.)(Raj.) -Page :- 572-576, 2016 (1)DNJ(Raj.) -Page :-216-220, 2013(3)DNJ [Raj.] -Page :-1399-1404 उक्त प्रकरण पर चस्पा होनी नहीं पाई जाती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत बनवाली के चक 4 बी.एन. डब्ल्यू के मु.नं. 92 के किला नम्बर 01,02,09,10,11 ,12,19,20,21,22 कुल 10 बीघा, मु.न. 115 के किला नम्बर 01 का 0.03 बिस्वा, किला नम्बर 04 का 0.04 बिस्वा कुल 0.07 बिस्वा, मु.नं. 111 के किला नम्बर 11 से 25 कुल 15 बीघा तथा किला नम्बर 1,2,3 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 4-5 सालम, किला नम्बर 06 में 0.04 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 0.02 बिस्वा, कुल आराजी 40.02 बीघा जरिये दानपत्र दिनांक 19.11.1974 को अप्रार्थी संख्या 03 को दी गई थी, जबकि उक्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गैरमुमकिन आबादी भूमि दर्ज है। उक्त दानपत्र होने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है दानपत्र होना भी पाया जाता है तो गैरमुमकिन आबादी भूमि/ ग्राम पंचायत की आबादी भूमि दानपत्र करवाने हेतु सरपंच सक्षम नहीं है सरपंच स्वयं की भूमि को दानपत्र के जरिये दान कर सकता है। उक्त पट्टे की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उमाशंकर पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर भी करवाई गई जिसमें उसने अंकित किया है कि सरपंच श्री राधाकृष्ण पर मास्टर प्लान बदलने, जोहड़ व राजकीय विद्यालय की भूमि पर कब्जा करने व गैर कानूनी तरीके से पट्टे जारी करने के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 3297 दिनांक 22.09. 2016 द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होना स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत बनवाली द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में एक ब्लूप्रिंट नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा निलाम किए गए भूखण्डों बाबत है। इस नक्शे पर अंकन किया हुआ है "प्रमाणित किया जाता है कि ब्लॉक A व B में दर्शाई गई भूमि आबादी भूमि की है जो कि जोहड़-पायतन व श्मशान भूमि तथा कृषि भूमि नहीं है।" इस नक्शे पर पटवारी हल्का, ग्राम सेवक, सरपंच, सहायक नगर नियोजक व वरिष्ठ नगर नियोजक के हस्ताक्षर हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित पट्टे की भूमि आबादी भूमि है एवं पंचायत ऐसी भूमि के पट्टे जारी करने या निलामी के लिए सक्षम है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत निलामी रेकार्ड का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पंचायत द्वारा निलामी की प्रक्रिया का पालन किया




*any*  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

गया है एवं कानून का ऐसा कोई उल्लंघन दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जो पट्टा संख्या सी-38 को खारिज करने का आधार बने। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डा. गुंजन सोनी)  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर